

अ. संसदगत कार्य
प्रत्यक्षकार्यालय समिति

१. संसदगत कार्य :-
अ. पठन :-

संस्था की सभी प्रस्ताव की सदस्यों को भिन्न-बिन्न संसदगत कार्य का पठन किया जायेगा।

ब. बैठकें :-

संसदगत कार्य की सम्बन्ध बैठकों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को तीन दिन पूर्व सूचना देना सुनिश्चित हो सकेगा है।

२. मनमूर्ति :-

संसदगत कार्य की सभी प्रस्ताव की बैठकों के लिए कुल संसद संख्या की 2/3 की उपस्थिति मनमूर्ति के लिए आवश्यक होगी। किन्तु संसद में उपस्थित बैठकों को पुनः संसद नहीं लाने का कोश नहीं होगा। किन्तु सूचना के विषय पूर्व ही रहेगे।

३. विशेष दैनिक अधिवेशन

संसदगत कार्य की विशेष दैनिक अधिवेशन एवं की स्थापना पर विचार जायेगा। जिसकी विधि प्रत्यक्षकार्यालय समिति द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी।

ब. संसदगत कार्य के कार्य :-

- १. तीन वर्षों के लिए प्रत्यक्षकार्यालय का चुनाव करना।
- २. दैनिक कार्य - कार्य प्रस्ताव को पारित करना।
- ३. प्रत्यक्षकार्यालय समिति द्वारा पारित की सभी दैनिक रिपोर्ट को पारित करना।



४. प्रत्यक्षकार्यालय समिति :-

अ. पठन :-

प्रत्यक्षकार्यालय समिति का पठन संसद के सभी प्रस्ताव की सदस्यों को भिन्न-बिन्न संसदगत कार्य की बैठक में सुझाव द्वारा सुझाव के विचार जायेगा। कुल 11 व्यक्तियों की प्रत्यक्षकार्यालय समिति प्रस्ताव होगी।

१. अध्यक्ष - एक २. उपअध्यक्ष - एक ३. सदस्य - एक ४. सचिव - एक ५. संसदगत कार्य समिति का निर्वाचित सभी की समिति द्वारा संसदगत विचार संस्थाओं व उपस्थित सदस्यों का सम्पर्क होगा।

ब. बैठकें

प्रत्यक्षकार्यालय समिति की सम्बन्ध बैठकें एवं वे तीन होंगी, किन्तु विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार सभी में सुझाव जा सकेगा है। सभी प्रस्ताव की बैठकें सभी द्वारा सुझाव जा सकेगी।

31/10/2024
 प्रत्यक्ष कार्यलय समिति
 संसद के अंग

(Signature)
 प्रमुख अधिकारी संसद
 मंत्री
 प्रमुख अधिकारी संसद

संस्था-प्रतिनिधि
(Signature)
 प्रमुख अधिकारी संसद
 प्रमुख अधिकारी संसद के अंग

11. संघ के सभी के लिए 500000.00 रुपये (पाँच लाख रुपये) तक एक बार से आवंटन। तथा उससे अधिक आवंटन की अनुमति से बाध रहना।

1. शेषावकाश-

- 1. वार्षिक आवंटन - आवंटन को विलय किया जाएगा।
- 2. आवंटन - आवंटन सम्बन्धी अधिसूचना को ध्यान में रखा जाएगा।
- 3. 500000 रुपये तक संघ के सभी के लिए अपने एक एक।

12. नियमों एवं विनियमों में संशोधन :-

संघ के नियमों व विनियमों में संशोधन परिशोधन व परिशोधन प्रस्तावों/सिद्धि समिति की सिफारिश में 2/3 के बहुमत से संघ के संसदीय परिशोधन समिति के अनुमति किया जाएगा।

13. संघ का क्षेत्र-

संघ का क्षेत्र किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संघ के नाम से खाता खोल कर प्राप्त किया जाएगा। तथा क्षेत्र बाह्य संघ के सभी के द्वारा ही से किया जाएगा।

14. संघ का क्षेत्र परीक्षण

संघ के सभी आवंटन - आवंटन का क्षेत्र परीक्षण वर्ष के अंत में किया जाएगा।



15. अदायगी सार्वजनिक :-

संघ द्वारा अदायगी करने वाला प्रत्येक आवंटन के अंत में अदायगी सिफारिश करेगा। तथा अदायगी प्रत्येक की अदायगी सार्वजनिक रूप से किया जाएगा।

16. संघ का दायित्व :-

संघ द्वारा जारी तथा सार्वजनिक रूप से जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक, अदायगी करने वाले किसी भी बैंक से भी अदायगी सार्वजनिक रूप से अदायगी करने के रूप में प्राप्त करेगी। अदायगी प्रत्येक में अदायगी के रूप में संघ अदायगी में अपने अदायगी की अदायगी अपने एक अदायगी की अदायगी सार्वजनिक रूप से अदायगी करेगी। अदायगी की अदायगी का अदायगी/सिद्धि संघ के प्रत्येक अदायगी का सार्वजनिक रूप से अदायगी होगा। यदि कोई अदायगी संघ के अदायगी से दे देता है तो अदायगी अदायगी की अदायगी तक एक अदायगी करेगी। अदायगी अदायगी अदायगी की अदायगी नहीं हो जाएगी। और अदायगी अदायगी द्वारा देना अदायगी नहीं हो कर दिया जाएगा।

श्री. राजेश कुमार
उपसचिव
संघ के क्षेत्र परीक्षण समिति

श्री. राजेश कुमार
सत्य-प्रतिनिधि


8.	श्री अशोक अग्रवाल	21, मुन्डे गली, दिल्ली, महाराष्ट्र	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्री राजेश कुमार समर्थ	घर नं 10-बी, टिकट, दिल्ली महाराष्ट्र	सदस्य	समाजसेवा
10.	श्री अशोक शिखरी	घर नं 10-बी, टिकट, दिल्ली महाराष्ट्र	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्री राजेश कुमार समर्थ	घर नं 10-बी, टिकट, दिल्ली महाराष्ट्र	सदस्य	समाजसेवा

अग्रवाल अशोक श्री अशोक शिखरी के लिए अतिरिक्त सदस्यों को सम्मिलित किया।

इसके बाद अन्य कोई प्रस्ताव नहीं आया अतः आज की बैठक अग्रवाल अशोक के सम्मिलित करने के बाद समाप्त घोषित की गयी।

श्री अशोक

समाजसेवा



राजेश कुमार

श्री अशोक शिखरी



श्री अशोक शिखरी



शुभम सामुदायिक संस्थान, एम+आई+जी- 4, सेक्टर 3, बटो-2, काठनुर नगर

पुस्तक कार्रवाई

आज दिनांक 01/03/2022 को शुभम सामुदायिक संस्थान, एम+आई+जी- 4, सेक्टर 3, बटो-2, काठनुर नगर की संचालन समिति विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के प्रमुख कार्यक्रम में प्रा. कला 11 वरी संस्था की आयोजित की गई। प्रमुख कार्यक्रम में पूर्ण कार्यालय परिसर के अनुसूचित संस्थान की गई। बैठक में संचालन समिति के द्वारा 11 में ही 11। अद्यतन उपस्थित 11 वरीय पूर्ण 11। अद्यतन कार्यक्रम की अनुसूचित में परिसर के अनुसूचित बैठक का संचालन करने हुए कार्यकारी प्रबंध समिति के निर्देश दिए गए बैठक में निम्न प्रस्तावों का विचार किया गया।

प्रस्ताव को-1 शिक्षकी कार्यकारी की पूर्ण नए विचार।

शिक्षकी कार्यकारी को नए में प्रमुख पुस्तक नया शिक्षकी पूर्ण नए कार्यकारी को की गई।

प्रस्ताव को-2 परिसर/कार्यालय समिति के निर्देश पर विचार।

अध्यक्ष समिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव की कि संस्था की शिक्षकी को अनुसूचित कार्यकारी समिति का कार्यक्रम 5 वर्ष का है। अद्यतन कार्यकारी समिति को 5 वर्ष का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अतः आगामी 5 वर्ष के लिए नए कार्यकारी को पूर्ण की कार्यकारी प्रबंध समिति के निर्देश दिए जाने हैं। अध्यक्ष की प्रस्ताव का संचालन एवं कार्यालय समिति उपस्थित सदस्यों सहयोग प्रदान के लिए किया। अद्यतन प्रमुख समिति पूरा अनुसूचित निर्देश की कार्यकारी प्रबंध की गई।

क्रमांक	व्यक्ति	पता	पद	कार्यक्रम
1.	शिक्षकी समिति प्रबंध	एम+आई+जी, जिला काठनुर	अध्यक्ष	पुस्तकी
2.	श्री अश्विनी प्रबंध	एम+आई+जी, जिला काठनुर	सदस्य	समाजसेवा
3.	श्री शशि विहारी	पुस्तकी जिला एम+आई+जी, काठनुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
4.	श्री विजयप्रकाश	काठनुर नगर, अनुसूचित प्रबंध	सदस्य	समाजसेवा
5.	शिक्षकी अश्विनी विहारी	एम+आई+जी काठनुर	सदस्य	समाजसेवा
6.	शिक्षकी शशि पुस्तक	पुस्तकालय, काठनुर	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री अश्विनी जी	एम+आई+जी, एम+आई+जी, काठनुर	सदस्य	समाजसेवा